आयुक्त–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहनप्राधिकार, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर की आहूत बैठक दिनांक 24.02.2023 की कार्यवाही :–

- **उपस्थिति :–**
  1. श्री गोपाल मीणा, आयुक्त–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।
  2. श्री वरूण कुमार मिश्रा, संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।
  3. श्री संजीव कुमार, अपर समाहर्त्ता (राजस्व), मुजफ्फरपुर– सदस्य

  सर्वप्रथम आयुक्त–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा उपस्थित सदस्य एवं पदाधिकारियों का स्वागत करते हुये बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

कार्यवाही–(01) गत बैठक दिनांक 24.12.2022 की कार्यवाही का अनुपालन का निदेश दिया गया।

कार्यवाही–(02) सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर को प्राधिकार द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत किए गए कार्यों की सूचना ग्रहित की गयी एवं उसका अनुमोदन किया गया ।

कार्यवाही–(03) **बसों के स्थायी परमिट निर्गत करने हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार:–**

(i) सभी सदस्यो द्वारा परमिट निर्गत करने से संबंधित परिपत्र एवं अधिसूचना आदि का अवलोकन किया जो इस प्रकार है :–

क्रमांक	परिपत्र / अधिसूचना संख्या एवं दिनांक	विषय
1	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 1377 दिनांक 06.04.2018	वाहनों के अधिकतम गति सीमा के संबंध में।
2	परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 6281 दिनांक 02.09.2020	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्यगण की नियुक्ति।
3	उप परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना का पत्रांक 1932 दिनांक 12.03.2021	राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन हेतु क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का निर्देश।
4	बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 615 दिनांक 29.10.1985	राष्ट्रीयकृत मार्गो पर परिचालन के संबंध में।
5	विशेष सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 11715 दिनांक 05.10.1991	राष्ट्रीयकृत मार्गो पर परिचालन के संबंध में।

(ii) जनवरी–2023 एवं फरवरी–2023 में बसों की स्थायी परमिट निर्गत करने हेतु प्राप्त कुल 161 नये आवेदनों एवं प्राधिकार की बैठक दिनांक 24.12.2022 में आवेदन स्वीकृती के उपरांत निर्गत परमिट संख्या BR2023-SC-0232A से आवृत वाहन BR29PA-6726 का खजुरिया से मोतिहारी के बीच गति सीमा उल्लंघन का मामला प्रकाश में आने पर इसे भी उक्त बैठक में निर्णय के बिन्दु पर विचार हेतु रखा गया है। सम्यक् विचारोपरांत विभाग द्वारा चिन्हित मार्गो पर स्थायी परमिट देने के बिन्दु पर विचार किया गया जो कार्यावली संख्या–3(i)–परिशिष्ट–IV पर दर्ज है।

(iii) पूर्व की सभी बैठकों में आवेदन स्वीकृति के पश्चात भी परमिट प्राप्त नही करने वाले आवेदकों/वाहन स्वामियों से अनुरोध है कि वे अधिभार की राशि जमा करा कर अपना परमिट दिनांक 06.03.2023 तक निश्चित रूप से प्राप्त कर लें अन्यथा निर्धारित तिथि के पश्चात् उनके आवेदन को निष्पादित (dispose off) मानते हुए उक्त टाईम स्लॉट को अन्य आवेदक के वाहन को आवंटित कर दिया जाएगा। इस संबंध में दिनांक 23.01.2023 को हिन्दुस्तान समाचार पत्र में प्रकाशित कर वाहन स्वामियों/परमिटधारियों को सूचना दी जा चुकी है।

(iv) दिनांक 24.12.2022 के प्राधिकार की बैठक के पूर्व मुख्य बिन्दु पर 5 मिनट तथा मध्य बिन्दु पर 1 मिनट का समय–अंतराल निर्धारित था परन्तु दिनांक 24.12.2022 को प्राधिकार की बैठक में पूर्व से निर्धारित मुख्य बिन्दु पर समय–अंतराल 5 मिनट को संशोधित करते हुए 2 मिनट किया गया तथा शेष शर्त यथावत् रखते हुए नियम का पालन करने वाले आवेदक के वाहन को परमिट हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी। बस पड़ाव में भीड़–भाड़, यात्रियों के जान–जोखिम, पूर्व से निर्गत परमिट धारकों के हित, वाहन स्वामियों से प्राप्त अभ्यावेदन, जन प्रतिनिधियों के सुझाव एवं प्रशासनिक दृष्टीकोण इत्यादि को ध्यान में रखते हुए पिछली क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर की बैठक में निर्धारित मुख्य बिन्दु पर समय अंतराल 2 मिनट को संशोधित करते हुए मुख्य बिन्दु पर पूर्व से परमिट प्राप्त वाहन के 5 मिनट पहले आने वाले समय पर तथा बाद के 2 मिनट का समय अंतराल (पटना एवं मुजफ्फरपुर को छोड़कर, यथा पूर्व) निर्धारित किया जाता है तथा अन्य शर्त्तो को यथावत रखते हुए निर्धारित समय अन्तराल वाले आवेदन को परमिट हेतु स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया जाता है। इसे उदाहरण के तौर पर इस प्रकार समझा जा सकता हैः–

<u>उदाहरण नं0–1</u>.

जनवरी 2023 के कार्यावली के क्रमांक 20 पर अंकित वाहन संख्या BR06PE-4100 का रक्सौल में प्रस्थान का समय 07:01 अंकित है। 07:03 बजे वाहन संख्या BR05PA-1603 का परमिट पूर्व से निर्गत है। समय 07:01, समय 07:03 के पहले आ रहा है। दोनों के बीच 5 मिनट का अन्तराल होना चाहिए जो नहीं है। अतः उक्त आवेदन को अस्वीकृत किया गया है।

<u>उदाहरण नं0–2</u>.

जनवरी–2023 के कार्यावली के क्रमांक 22 पर ही अंकित वाहन संख्या BR06PE-4101 का नवलपुर में प्रस्थान का समय 06:58 अंकित है। 06:55 में वाहन संख्या BR06PB-8121 का परमिट पूर्व से निर्गत है। समय 06:58, समय 06:55 के बाद है जहाँ समय–अंतराल दो मिनट निर्धारित है। अतः वाहन संख्या BR06PE-4101 का परमिट हेतु आवेदन स्वीकृत किया गया है।

<u>उदाहरण नं0–3.</u>

जनवरी–2023 के कार्यावली के क्रमांक 27 पर ही अंकित वाहन संख्या BR01PE-9945 का बगहा स्टेशन पर प्रस्थान का समय 13:52 अंकित है। 13:56 में वाहन संख्या BR05GA-5625 का परमिट पूर्व से निर्गत है। समय 13:52, समय 13:56 के पहले है जहाँ समय–अंतराल पाँच मिनट निर्धारित है इसलिए इस trip की अनुमति नहीं दी गयी है। अतः बगहा स्टेशन पर 13:52 वाला trip काट कर आवेदन स्वीकृत किया गया है।

इस नियम के आधार पर कुल प्राप्त आवेदन की स्थिति निम्न है:—

कुल आवेदन	स्वीकृत	संशोधित स्वीकृत	अस्वीकृत	मार्गदर्शन	जाँच के बाद निर्णय हेतु	अगली बैठक में निर्णय हेतु	आवेदन वापस लिया गया
162	74	30	33	20	1	1	3

(v) सर्वसम्मति से समिति द्वारा जिन आवेदनकर्त्ताओं का आवेदन स्वीकृत किया गया, उनसे अद्यतन मान्य कागजात, शपथ–पत्र, अधिभार की राशि एवं प्रक्रिया शुल्क 30 दिनों के अन्दर जमा करा कर तद्नुसार परमिट निर्गत किया जायेगा। यदि 25.03.2023 तक यदि वे अपना परमिट प्राप्त नहीं करते हैं तो उनके आवेदन को निष्पादित (dispose off) करते हुए उक्त टाइम स्लॉट को किसी अन्य आवेदक के वाहन को नियमानुसार आवंटित किया जाएगा।

(vi) परमिट निर्गत करने से पूर्व वाहन के सभी मान्य कागजात यथा प्रदुषण, बीमा, दुरूस्ती–प्रमाण पत्र, टैक्स इत्यादि की जाँच एवं कंडिका (iv) के शर्त्तों का अनुपालन संबंधी विधिवत् जाँच संबंधित सहायक एवं प्रधान सहायक द्वारा की जाएगी।

(vii) प्राधिकार द्वारा यथानिर्णित स्वीकृत आवेदनों पर कंडिका (vi) का अनुपालन करते हुए परमिट निर्गत सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा किया जाएगा।

(viii) यदि किसी मामले में आवेदक द्वारा तथ्य छुपाकर, अधूरी जानकारी देकर या किसी अन्य कारण से समय, गति एवं कंडिका (iv) का अनुपालन से संबंधित कोई विषंगतियाँ किसी स्तर पर कभी भी प्रकाश में आती है तो इसका विधिवत् नियमानुकुल रद्द या परिमार्जन संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के माध्यम से ही किया जाएगा।

(ix) एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है कि वाहन में अधिक सीट रहता है परन्तु कम सीट वाली वाहन का टैक्स आदि सरकार को चुकाया जाता है एवं परमिट प्राप्त करने हेतु कम ही सीट का वाहन अंकित किया जाता है। साथ ही यह भी प्रकाश में आया है कि वाहन का परमिट स्टेज कैरेज के नाम पर प्राप्त कर टाइम स्लॉट को बुक कर लिया जाता है परन्तु उक्त वाहन स्कुल अथवा अन्य कार्य में लगाया जाता है ताकि उनका टाइम स्लॉट बुक रहे और उस समय पर कोई अन्य परमिट प्राप्त नहीं कर सके। इस प्रकार की मामला प्रकाश में आने पर प्रभावी वाहन के परमिट को रद्द कर दिया जाएगा तथा वाहन स्वामी के विरूद्ध सम्मत् कार्रवाई की जाएगी।

(x) पारदर्शिता हेतु अबतक मार्ग वार कितने परमिट निर्गत किये गये हैं, इसकी समेकित सूची समय सारणी के साथ संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा नोटिस बोर्ड एवं आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट www.tirhutdivision.nic.in पर एक सप्ताह में प्रकाशित किया जाएगा।

(xi) भविष्य में सभी आवेदक/वाहन स्वामी द्वारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना संख्या 1377 दिनांक 06.04.2018 के अनुसार अपने शपथ–पत्र में स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा कि आवेदित वाहन के समय–सारणी में कहीं भी गति सीमा का उल्लंधन नहीं हो रहा है। साथ ही समय–सारणी में एक पड़ाव से दुसरे पड़ाव के बीच की दूरी एवं उसे तय करने में लगने वाला समय का स्पष्ट उल्लेख हो।

यदि गति सीमा के संबंध में तथ्य छुपाने या उल्लंघन का कोई मामला प्रकाश में आता है तो प्रभावी वाहन के परमिट को रद्द कर दिया जाएगा एवं वाहन स्वामी के विरूद्ध विधि सम्मत् कार्रवाई की जाएगी।

(xii) गति सीमा उल्लंघन के मामले में संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर परमिट हेतु प्राप्त आवेदन पर विचार करने का निर्णय लिया गया।

(xiii) पारदर्शिता हेतु सभी वाहन स्वामी से अनुरोध किया गया कि आवेदन करते समय अद्यतन कागजात, विहित शुल्क, अधिभार, निबंधित डाक से परमिट भेजने का शुल्क के साथ पूरी राशि ऑनलाईन जमा करा कर इसकी सूचना क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, कार्यालय के ई–मेल आई0 डी0 rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in पर देंगे ताकि कार्यालय नहीं आना पड़े। लंबी दुरी तय करने वाली वाहन जिसकी दुरी 250 कि0मी0 से अधिक हो उन्हें अधिभार एवं निबंधित डाक शुल्क के रूप में 500 रूपये की राशि तथा जिस वाहन द्वारा 250 कि0मी0 से कम दुरी तय की जाती है उन्हें अधिभार एवं निबंधित डाक शुल्क के रूप में 300 रूपये की राशि चालान द्वारा जमा करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। अद्यतन कागजात एवं शुल्क पुरी रहने पर स्वीकृत परमिट को कार्यालय द्वारा स्पीड पोस्ट/निबंधन डाक से उनके आवेदन पर अंकित पता पर भेज दिया जाएगा। अनुरोध है कि सभी वाहन स्वामी आवेदन करते समय आवेदन पर अपना पुरा पता पिन कोड एवं मोबाईल नम्बर के साथ अंकित करेंगे।

(xiv) जिन वाहन स्वामी के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है उन इच्छुक आवेदकों से अनुरोध है कि वे पुनः विहित प्रक्रिया अपना कर आवेदन करेंगे। प्राधिकार की अगली बैठक में **"पहले आओ–पहले पाओ"** के नियम के आधार पर आवेदन की तिथि/समय के क्रमानुसार विचार किया जाएगा।

(xv) नये परमिट से आवृत वाहन के लिए नई परमिट निर्गत होते ही पुराने परमिट स्वतः रद्द हो जाएगा एवं उनके पुराने परमिट में उल्लेखित मार्ग एवं समय को रिक्त मानते हुए नये आवेदक को नियमानुसार आवंटित कर दिया जाएगा।

(xvi) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आयुक्त के सचिव, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को समिति द्वारा सर्व सम्मति से मनोनित किया गया।

अन्त में स–धन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

अपर समाहर्त्ता (राजस्व) **सदस्य** **क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,** **मुजफ्फरपुर।**	**संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,** **क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,** **मुजफ्फरपुर।**	25/02/2023 **आयुक्त–सह–अध्यक्ष,** **क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,** **मुजफ्फरपुर**

ज्ञापांक 92 /मुजफ्फरपुर, दिनांक 25/02/2023

प्रतिलिपि :– सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडल/सभी मोटरयान निरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल/सभी प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ/अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– श्री संजीव कुमार, अपर समाहर्त्ता (राजस्व) – सदस्य, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी जिला पदाधिकारी, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आयुक्त–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थसमर्पित।

प्रतिलिपिः– राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपिः– सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।